छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचादश सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2018

(माघ 20, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 से 06, 08, 09, 10 एवं 12 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 02, 07, 11, 13 एवं 14 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री देवजी भाई पटेल, संतराम नेताम, दलेश्वर साहू, लखेश्वर बघेल एवं टी.एस. सिंहदेव अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री कवासी लखमा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री कवासी लखमा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

(3) तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान सदस्य सर्वश्री अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय एवं सियाराम कौशिक ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

3. पृच्छा

श्री धनेन्द्र साहू एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा 14वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के कार्यों हेत जारी की गई राशि का मोबाईल टॉवर स्थापित करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

4. व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि आज इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रात: 8.00 बजे प्राप्त हुई है । इस संबंध में पूर्व में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों की ओर से ध्यानाकर्षण की सूचना 31 जनवरी को प्राप्त हो चुकी है, जो विचाराधीन है।

इस विषय पर, बजट पर सामान्य चर्चा एवं विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के समय पर्याप्त अवसर रहेगा। अत: स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया गया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.19 बजे स्थगित की जाकर 12.50 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रस्तुत स्थगन के संबंध में शासन से आश्वासन दिये जाने का आग्रह किया।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

(पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पुन्नूलाल मोहले, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2017-2018 **पटल पर रखा।**

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने कोण्डागांव जिले में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 1.03 बजे स्थगित की जाकर 1.07 बजे पुन: समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

(पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा कालातीत ऋणी कृषकों की भूमि की नीलामी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयाल दास बघेल, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने पंचायत मंत्री से अधिकारियों पर कार्यवाही के लिये आश्वस्त करने का आग्रह किया

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री नवीन मारकण्डेय
(2) श्री लखेश्वर बघेल
(3) श्री पारसनाथ राजवाड़े

(4) श्री भूपेश बघेल

(5) श्री राजेन्द्र कुमार राय

9. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2) तथा नियम 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2018-2019 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2018-2019 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा सोमवार दिनांक 19 फरवरी, 2018 को अपराह्न 1.30 बजे से सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2018 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्घांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्‌वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

10. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री कवासी लखमा, भोजराज नाग,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री संतराम नेताम,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. खिलावन साहू, श्री दीपक बैज, श्री राजेन्द्र कुमार राय, श्री अमरजीत भगत, श्री नवीन मारकण्डेय, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 7 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक-23 सन् 2017)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पारित छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) पर माननीय राज्यपाल के निर्देश के अनुसरण में विधेयक पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पारित छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) को वापस लिये जाने की अनुमति चाही।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अनुमति प्रदान की गई।

सायं 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 10 फरवरी, 2018 (माघ-21, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा